[2007] 8 S.C.R. 689

मेसर्स ऑरोहिल ग्लोबल कोमोडिटिज लिमिटेड

बनाम

एम/एस M-S-T-C- लिमिटेड

31 जुलाई, 2007

[एस. एच. कपाडिया, जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

अधिनियम की प्रयोज्यता- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए- निर्धारित किया गयाः यह अधिनियम भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू होता है, जब तक कि अधिनियम के किसी भी या सभी प्रावधानों को पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं रखा गया है।

धारा 11 (9) सपठित धारा 11 (5) - मध्यस्थ की नियुक्ति- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन-सामान खरीदने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियों में से एक कम्पनी एक तीसरी कंपनी की ओर से, दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी से- क्रेता कंपनी द्वारा खरीद आदेश का प्रारूप जारी करना-मध्यस्थता के ब्रिटिश

कानून की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करने वाला मध्यस्थता खंड-लेनदेन के संबंध में विवाद-विक्रता कम्पनी की ओर से विधिक सूचना-अधिनियम द्वारा शासित होने का प्रस्ताव-मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए क्रेता कंपनी द्वारा उसकी स्वीकृति याचिका-रखरखाव पर सवाल-इस आधार पर कि यह गैर-पूर्व अनुबंध पर आधारित था-निर्धारित किया गया कि याचिका विचारणीय है क्योंकि यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर भी लागू होता है। अनुबंध की वैधता और तीसरी कंपनी को पक्षकार नही बनाये जाने के प्रश्न मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने है। हालाँकि, मध्यस्थता का ब्रिटिश कानून मध्यस्थता खंड की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

एक अंतरराष्ट्रीय सौदे में, प्रतिवादी-कंपनी को याचिकाकर्ता-कंपनी से तीसरी कंपनी की ओर से सामान खरीदना था। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत के पश्चात प्रतिवादी-कंपनी ने एक खरीद आदेश का प्रारूप जारी किया और इसे याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। क्रय आदेश के प्रारूप के मध्यस्थता खंड में निर्दिष्ट निपटान ग्रेट ब्रिटेन के मध्यस्थता के नियमों और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अनुसार विवाद लंदन के होने के लिए निर्दिष्ट किए गए थे।

लेन-देन के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक विधिक पत्र मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए भेजा प्रतिवादी ने अपने जवाब नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम द्वारा

निर्देशित होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमती प्रकट की।

याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी-कंपनी ने याचिका की रखरखाव पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि याचिका उस अनुबंध पर आधारित थी जो अप्रमाणित था खरीद आदेश का प्रारूप एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध नहीं था। अतः यह न्यायालय अपने स्वयं की पसंद के मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता जैसा कि मध्यस्थता खंड ने ब्रिटिश कानून की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट किया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के द्वारा दिये गये लीगल नोटिस के उत्तर के अनुसार उनकी सहमति भारतीय कानून के प्रति है, अतः ब्रिटिश कानून के अधिन होने का उनका अधिकार छोडा हुआ माना जाएगा।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के भाग । के प्रावधान, भारत के बाहर आयोजित, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम आईसीसी पर समान रूप से लागू होते हैं, जब तक कि किसी भी या सभी प्रावधानों को पाटियों के बीच समझौता, स्पष्ट रूप से द्वारा, बाहर नही रखा गया हो। इसलिए, जहां मध्यस्थता आई. सी. सी. के नियमों के अनुसार की जानी है, पक्ष केवल इसके लिए अनुमेय सीमा तक विचलन कर सकते हैं। [पैरा 12]

[695-ए]

भाटिया इंटरनेशनल बनाम थोक व्यापार एस. ए. और अन्य, [2002] 4 एससीसी 105 पर भरोसा किया।

2. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-कंपनी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 11 (9) के तहत यह याचिका दायर की है। धारा 11 भाग । में आती है। कथित अनुबंध एक अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है। इसलिए, इस न्यायालय के पास एक मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है। अधिनियम के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं। अदालतों की शक्तियों में कटौती की गई है। अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिकार इन तक सीमित नहीं है बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता याचिका गलत समझी गयी थी और कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है। [पैरा 13] [695-बी, सी, डी]

सिक्योर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गोदरेज और बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड और अन्य, [2004] 3 एस. सी. सी. 447, पर भरोसा किया।

3. यह प्रश्न कि क्या ड्राफ्ट खरीद आदेश ने एक सम्पन्न अनुबंध का स्वरूप प्राप्त कर लिया है या नहीं और यह प्रश्न कि क्या अनुबंध गैर-स्थायी था, इसका निर्णय केवल मध्यस्थ द्वारा ही तय किया जा सकता है।

इसलिए, उपरोक्त प्रश्न का निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से मध्यस्थता की कार्यवाही में उठाई गई आपत्तियां तीसरी कंपनी, जो अंतिम खरीदार भी थी, के गैर-भागीदार होने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं थीं, जिन्हें प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाना आवश्यक है। इसलिए, मध्यस्थता याचिका अधिनियम के तहत विचारणीय थी। [पैरा 13] [695-डी, ई]

4. जहाँ तक प्रक्रियात्मक कानून का संबंध है, कानूनी नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 1996 के अधिनियम द्वारा निर्देशित होने के प्रस्ताव पर केवल सिद्धांत रूप में प्रस्ताव से सहमत था।इसके अलावा, यह छूट का गठन नहीं कर सकता क्योंकि यह पूर्वाग्रह सहमति के बिना है। इन परिस्थितियों में, पक्ष कथित अनुबंध की शर्तों की पालन करेंगे। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि पक्षों को अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा। वर्तमान मामला एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित है। पक्षकारों ने खुली आँखों से कथित अनुबंध में प्रवेश किया। वे लंदन में मध्यस्थता द्वारा और ग्रेट ब्रिटेन के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा, कथित अनुबंध के खंड 20 के अनुसार पक्षों ने तर्क दिया कि केवल ग्रेट ब्रिटेन में सक्षम अदालत के पास सभी मामलों को तय करने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार होगा। खंड 19 और 20 को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए प्रक्रियात्मक कानून आवेदन

ब्रिटिश मध्यस्थता नियम होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत प्रक्रियात्मक कानून द्वारा ब्रिटिश मध्यस्थता नियमों को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है। [पैरा 14]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः मध्यस्थता याचिका संख्या 8/2007

सुनील कुमार, श्री प्रकाश सिन्हा, अभिषेक सिंह, अंशुमन के. शेखर कुमार - याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से चेतन शर्मा, रामिनी तनेजा और अनिल श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

कापडिया, जे.

1. मेसर्स ऑरोहिल ग्लोबल कमोडिटीज लिमिटेड ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("उक्त अधिनियम") की धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 11 (9) के तहत मध्यस्थता आवेदन दायर किया है। ताकि निपटान के लिये मध्यस्थों की नियुक्ति की जा सके। उक्त कंपनी और मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड के बीच विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए। (पीएसयू)। इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं।

2. याचिकाकर्ता कंपनी साइप्रस में स्थित है जिसका कार्यालय रूस व भारत में है। याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय से इस्पात उत्पादों का निर्यात कर रहा है।

3. पत्र दिनांक 2.3.2005 के माध्यम से, मैसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड नागपुर ने याचिकाकर्ता को 5000 मीट्रिक टन बिलेट की आपूर्ति का आदेश दिया। तदनुसार, 10.3.2005 को याचिकाकर्ता ने 22,25,000 अमेरिकी डॉलर के कुल विचार के लिए उक्त सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को प्रोफार्मा चालान भेजा। अपरिवर्तनीय पुष्टि-क्रेडिट पत्र ("एल. सी".) के माध्यम से भुगतान किया जाना था जो देखते ही 100 प्रतिशत देय था। याचिकाकर्ता का बैंकर मेसर्स बीएनपी था। इसके बाद, मेसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वे मेसर्स एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (यहाँ प्रतिवादी) के माध्यम से बिलेट्स खरीदना पसंद करते हैं।

4. 24.3.2005 को मेसर्स एम.एस.टी.सी. द्वारा एक ड्राफ्ट खरीद आदेश दिनांक 24.3.2005 जारी किया गया था। जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उक्त खरीद आदेश याचिकाकर्ता और मेसर्स M.S.T.C.लिमिटेड के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कोलकाता में पक्षों के बीच एक अनुबंध था। शिपमेंट की तारीख

15.5.2005 थी और भुगतान अपरिवर्तनीय एल. सी. के माध्यम से किया जाना था। डैन एंड ब्रैडस्ट्रीट से प्रमाणिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही एल. सी. को सक्रिय किया जाना था। खरीद आदेश के खंड 19 और 20 निम्नानुसार हैं:

"19. आर्बिट्रेशन:

किसी भी विवाद, विवाद और/या इससे उत्पन्न होने वाले या संबंधित दावे इस समझौते या उसमें कोई संशोधन, या कोई कथित उल्लंघन या उसका निरस्तीकरण, जिसका सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया जा सकता है

विक्रेता और खरीदार का निपटारा लंदन में मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा, और
ग्रेट ब्रिटेन मध्यस्थता के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार और उसके अनुसरण में पंचाट पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

AUROHILL GLOBAL COMMODITIES LTD. v M.S.T.C. LTD. 693

20. क्षेत्राधिकार

अकेले ग्रेट ब्रिटेन में लागू कानूनों के तहत सक्षम अदालत के पास

इस अनुबंध से संबंधित सभी विवाद, मामलों और विवादों पर निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा, जिसमें शुरू की गयी या शुरू की जाने वाली मध्यस्थता कार्यवाही भी शामिल है अदालत का अधिकार क्षेत्र लंदन होगा।

5. 29.3.2005 को M/s M.S.T.C. Ltd. ने एक अपरिवर्तनीय एल. सी. खोलने के लिए मैसर्स इंडियन ओवरसीज बैंक कोलकाता से अनुरोध किया। तदनुसार, मेसर्स इंडियन ओवरसीज बैंक ने याचिकाकर्ता के बैंकरों को सूचित किया कि एल. सी. मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड के अनुरोध पर खोला गया है और याचिकाकर्ता एल. सी. के तहत लाभार्थी था। एल. सी. की समाप्ति की तिथि 5.6.2005 थी। शिपमेंट की अंतिम तिथि 15.5.2005 थी। एल. सी. को बैंक से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही काम करना था।

6. 20.4.2005 को याचिकाकर्ता के बैंकर ने एल. सी. की पुष्टि की। एल. सी. लोडिंग के बंदरगाह पर माल के एफसीआर (पुष्टि की रसीद) की प्रस्तुति के विरूद्ध देय थी।

7. 10.5.2005 को यह आरोप है कि याचिकाकर्ता को अपेक्षित पुष्टिकरण प्राप्त हुआ जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने शिपमेन्ट केलिये माल तैयार किया। सामान यूक्रेन के बंदरगाह पर पहुंचा और इसके लिए

एक एफसीआर जारी किया गया। उक्त रसीद को दस्तावेजों के साथ बैंक में प्रस्तुत किया गया। तथापि 13.5.2005 को मेसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने मेसर्स सुनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा खोले गए एल. सी. पर सभी प्रेषणों को निलंबित करने के लिए याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा। उसी दिन, याचिकाकर्ता ने मेसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को सूचित किया कि प्रेषण को निलंबित करना संभव नहीं था क्योंकि माल पहले से ही बंदरगाह पर रखा गया था। मेसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने याचिकाकर्ता से दिनांकित 23.5.2005 पत्र के माध्यम से कीमत में 50 अमेरिकी डॉलर की कमी करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता को आगे सूचित किया गया कि एल. सी. तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि याचिकाकर्ता कीमत में कमी करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता ने कीमत कम करने से इनकार कर दिया। 26.5.2005 को मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड के बैंकरों ने कहा कि एल. सी. कुछ शर्तों के कारण निष्क्रिय था संतुष्ट नहीं, अर्थात् निष्पादन गारंटी का निष्पादन न होना। याचिकाकर्ता के अनुसार, कथित अनुबंध दिनांक 24.3.2005 में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

8. अंततः, 31.5.2005 M/s M.S.T.C. Ltd. ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि एल. सी. रद्द कर दिया गया है।

9. 23.8.2006 को याचिकाकर्ता द्वारा एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को

अनुरोध करते हुए एकल मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा करने के लिए एक कानूनी नोटिस दिया गया था। उक्त सूचना द्वारा, याचिकाकर्ता ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा प्रक्रियात्मक कानून के प्रयोजनों के लिए लागू मूल कानून के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम से शासित होने योग्य है। उक्त सूचना के जवाब में, मेसर्स M.S.T.C.ने दिनांकित 19.9.2006 के जवाब के माध्यम से कहा कि कथित अनुबंध गैर-अनुमानित था और उपरोक्त खरीद आदेश पार्टियों के बीच एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध का गठन नही करता है। उन्होंने तर्क दिया कि खरीद आदेश एक मसौदा था और यह कभी भी एक बाध्यकारी अनुबंध नहीं बन सकता क्योंकि पुर्ववर्ती शर्तें पूरी नहीं हुईं। मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड ने आगे तर्क दिया कि कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था, मध्यस्थता के लिए समझौता तो दूर कि बात है। हालांकि, उपरोक्त विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एम/एस M.S.T.C. लिमिटेड ने अपने उत्तर में कहा कि यदि याचिकाकर्ता मध्यस्थता पर जोर देता है तो उसके पास प्रक्रियात्मक कानून के साथ-साथ मूल कानून, अर्थात् भारतीय अनुबंध अधिनियम के उद्देश्य से उक्त अधिनियम द्वारा निर्देशित होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक यहाँ यह है कि 19.9.2006 M/s M.S.T.C. Ltd. दिनांकित पत्र के माध्यम से ऊपर उद्धृत खंड 19 में उल्लिखित ग्रेट ब्रिटेन के मध्यस्थता नियमों द्वारा शासित होने के अपने विकल्प को छोड दिया था।

10. प्रतिवाद के माध्यम से, मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता याचिका विचारणीय नहीं थी क्योंकि यह एक कथित अनुबंध पर आधारित थी, जो किसी भी स्थिति में गैर-कानूनी थी क्योंकि इसका गठन नहीं किया गया था और क्योंकि इसने पक्षों के बीच एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध का चरित्र हासिल नहीं किया था। मेसर्स एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के अनुसार, ड्राफ्ट खरीद आदेश, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना दावा किया है, एक अस्थायी प्रकृति का था और एक बाध्यकारी या निर्णायक अनुबंध के संदर्भ में कभी परिपक्व नहीं हुआ और चूंकि कोई अनुबंध नहीं था, इसलिए कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था और इसलिए, वर्तमान याचिका गलत थी और अनुचित। मेसर्स M.S.T.C.लिमिटेड के अनुसार खरीद आदेश का मसौदा किसी बाध्यकारी या निर्णायक अनुबंध को फंसाने के लिए निहित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, उक्त आदेश एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है। मैसर्स M.S.T.C. लिमिटेड द्वारा आगे यह कथन किया गया कि, किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय अपनी पसंद के मध्यस्थ को नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि मध्यस्थता खंड स्वयं कहता है कि कथित उल्लंघन के लिए समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और/या दावों का निपटारा लंदन में मध्यस्थता द्वारा और ग्रेट ब्रिटेन के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

11. निर्धारण के लिए दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले, क्या यह सवाल

कि क्या खरीद आदेश का मसौदा एक संपन्न अनुबंध का गठन करता है और/या क्या ऐसा अनुबंध गैर-स्थायी था, इस याचिका में मेरे द्वारा तय किया जा सकता है जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है।

12. भाटिया इंटरनेशनल बनाम थोक व्यापार एस. ए. और अन्य, [2002] 4 एस. सी. सी. 105 के प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से लागू होता है।

भारत के बाहर आयोजित वाणिज्यिक मध्यस्थता ("आई. सी. सी".), जब तक कि कोई भी या सभी पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा प्रावधानों को बाहर रखा गया है, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से, जहां मध्यस्थता नियमों के अनुसार की जानी है आई. सी. सी. के अनुसार, पक्ष केवल अनुमत सीमा तक ही विचलन कर सकते हैं।

13. वर्तमान मामले में मेसर्स ऑरोहिल ग्लोबल कमोडिटीज लिमिटेड ने याचिका दायर की है।यह याचिका उक्त अधिनियम की धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 11 (9) के तहत है।

धारा 11 भाग । में आती है। कथित अनुबंध एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है। इसलिए, इस न्यायालय के पास इसके अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है -

अनुबंध की शर्तें - उक्त अधिनियम के तहत, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास बहुत व्यापक शक्तियाँ है। अदालतों की शक्तियों कम कर दी गई है। अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिकार इन तक सीमित नहीं है बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है। (देखेंः सिक्योर सिइंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड और अन्य, [2004] 3 एस. सी. सी. 447, अतः वर्तमान मामले में यह प्रश्न है कि क्या खरीद का मसौदा आदेश ने एक निष्कर्षित अनुबंध का चरित्र प्राप्त किया या नहीं और प्रश्न इस बारे में कि क्या अनुबंध अस्थाई था, केवल मध्यस्थ द्वारा ही तय किया जा सकता है।

इसलिए, उपरोक्त प्रश्न का निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जाना चाहिए।

मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड की ओर से उठाई गई आपत्तियां यह थीं कि, किसी भी स्थिति में, मध्यस्थता की कार्यवाही गैर-सहायक के कारण बनाए रखने योग्य नहीं थी।

मेसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो अंतिम खरीदार थे। मेरे विचार में, मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड द्वारा भी मध्यस्थ के सामने आपत्ति उठाए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए, पहले मुद्दे पर मेरा विचार है कि मध्यस्थता याचिका उक्त अधिनियम के तहत बनाए रखने योग्य थी।

14. दूसरा प्रश्न जो वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस के दिनांक 19.9.1996 के जवाब के आधार पर, मेसर्स M.S.T.C. लिमिटेड को ऊपर उद्धृत खंड 19 में उल्लिखित ब्रिटिश मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का दावा करने के अपने अधिकार को माफ करने के लिए कहा जा सकता है। पुनः संक्षेप मे 23.8.2006 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा M.S.T.C. Ltd. को एक कानूनी नोटिस दिया गया था। तथ्यों को बताने और प्रस्तुत करने के बाद, याचिकाकर्ता ने मेसर्स M.S.T.C. Ltd. से अनुरोध किया कि वह एकल मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए अपनी सहमति दे।

उक्त कानूनी नोटिस द्वारा, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता का स्थान लंदन के बजाय नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव रखा। उक्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तक प्रक्रियात्मक कानून का संबंध है, उक्त अधिनियम द्वारा शासित होने पर सहमति है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 19.9.2006 दिनांकित पत्र, के माध्यम से मैसर्स याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा संबोधित पत्र के अनुसार जहां तक प्रक्रियात्मक कानून का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त 1996 अधिनियम द्वारा निर्देशित किए जाने के प्रस्ताव से केवल सैद्धांतिक रूप से सहमत था। इसके अलावा, यह छूट का गठन नहीं कर सकता क्योंकि यह पूर्वाग्रह सहमति के बिना है। इन परिस्थितियों में, पक्ष कथित अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे। इसके

अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि पक्षों को अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा। हमारे सामने एक अंतरराष्ट्रीय लेन-देन है। याचिकाकर्ता साइप्रस में पंजीकृत एक कंपनी है। पक्षकारों ने खुली आँखों से कथित अनुबंध में प्रवेश किया। वे लंदन में मध्यस्थता द्वारा और ग्रेट ब्रिटेन के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत हुए। (मेरे द्वारा दिया गया जोर)। इसके अलावा, कथित अनुबंध के खंड 20 के अनुसार पक्षों ने तर्क दिया कि अकेले ग्रेट ब्रिटेन में सक्षम अदालत के पास सभी मामलों को तय करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

खंड 19 और 20 को संयुक्त रूप से पढने पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए प्रक्रियात्मक कानून आवेदन ब्रिटिश मध्यस्थता नियम होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए उक्त 1996 अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक कानून द्वारा ब्रिटिश मध्यस्थता नियमों को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है।

15. तदनुसार, मेरा मानना है कि यह प्रश्न है कि क्या कोई निष्कर्षित अनुबंध, अस्तित्व में था, यह प्रश्न कि क्या कथित अनुबंध अवैध था और यह प्रश्न कि क्या मैसर्स सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आवश्यक और उचित पक्षकार था, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो मध्यस्थता कार्यवाही में तय किए जाने हैं और इस हद तक, यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत विचारणीय है।

हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मध्यस्थता के ब्रिटिश नियमों में कोई छूट नहीं है और इसलिए, पक्ष बाध्य हैं। मध्यस्थता खण्ड 19 ऊपर उद्धृत किया गया है।

16. बिना लागत के बारे में आदेश देते हुए तदनुसार, मध्यस्थता याचिका का निपटारा किया जाता है।

के. टी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता राणावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।